रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1993/ज्येष्ठ 10, 1915
No. 184] NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 1993/JYAISTHA 10, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1993

सं 126/193—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 434(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 44/91-सीमाशुल्क, तारीख 30 मई, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त में जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"96. सादा एल्युमीनियम पन्नी, जिसमें 99 प्रतिशत से अधिक एल्युमिनियम हो,

97. 12 माइक्रोन या उससे कम मोटाई की पालीप्रोपिलीन (प्लास्टिक) फिल्म,

98. 12 माइक्रोन या उससे कम मोटाई की धात्विकृत पालीप्रोपिलीन (प्लास्टिक) फिल्म,

99. द्रवणित संसेचित/रोधी तरल (निसेकी संचारित तेल)" ।

यह अधिसूचना 1 जून, 1993 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 602/1/93-डी.बी.के.]

बी. एल. गुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1993

NO. 126/93—CUSTOMS

G.S.R. 434(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 44/91—Customs, dated the 30th May, 1991, namely :—

In the Table appended to the said notification, the following entries shall be added at the end, namely :—

"96. Plain aluminium foil containing more than 99% aluminium,

97. Polypropylene (plastic) film of thickness 12 micron or below,

98. Metallised Polypropylene (plastic) film of thickness 12 micron or below,

99. Condensor impregnant/insulating fluid (nisseki capacitor oil)".

This notification shall come into force on the 1st day of June, 1993.

[F. No. 602/1/93-DBK]
B.L. GUR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993